सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3476.38	11.24	3487.62	4065.58	23.40	4088.98	4077.37	11.61	4088.98	4361.67	13.54	4375.21
वसूलियां	*-0.18*	...	-0.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**3476.20**	**11.24**	**3487.44**	**4065.58**	**23.40**	**4088.98**	**4077.37**	**11.61**	**4088.98**	**4361.67**	**13.54**	**4375.21**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. स्थापना व्यय												
1.01 सचिवालय	60.33	...	60.33	63.85	...	63.85	66.61	...	66.61	68.68	...	68.68
1.02 कला एवं संस्कृति	8.30	...	8.30	9.55	...	9.55	10.04	...	10.04	10.89	...	10.89
1.03 सूचना एवं प्रचार	343.36	...	343.36	381.50	...	381.50	401.64	...	401.64	415.88	...	415.88
	-0.18	...	-0.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*343.18*	...	*343.18*	*381.50*	...	*381.50*	*401.64*	...	*401.64*	*415.88*	...	*415.88*
निवल	*411.81*	...	*411.81*	*454.90*	...	*454.90*	*478.29*	...	*478.29*	*495.45*	...	*495.45*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. प्रसार भारती												
2.01 प्रसार भारती को सहायता अनुदान	171.40	...	171.40	260.00	...	260.00	217.85	...	217.85	...	...	...
2.02 किसान चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान	52.10	...	52.10	51.70	...	51.70	48.89	...	48.89	...	...	...
2.03 अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान	...	...	...	4.00	...	4.00	60.00	...	60.00	...	...	...
2.04 प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	473.00	...	473.00
जोड़- प्रसार भारती	*223.50*	...	*223.50*	*315.70*	...	*315.70*	*326.74*	...	*326.74*	*473.00*	...	*473.00*
3. सूचना												
3.01 विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार	147.03	...	147.03	182.00	...	182.00	220.00	...	220.00	200.00	...	200.00
3.02 मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम	19.95	...	19.95	23.83	...	23.83	18.78	...	18.78	21.00	...	21.00
3.03 मानव संसाधन विकास	4.54	...	4.54	6.68	...	6.68	6.13	...	6.13	6.00	...	6.00
जोड़- सूचना	*171.52*	...	*171.52*	*212.51*	...	*212.51*	*244.91*	...	*244.91*	*227.00*	...	*227.00*
4. फिल्म												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4.01 विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार	36.59	...	36.59	60.74	...	60.74	55.72	...	55.72	53.87	...	53.87
4.02 फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम	29.54	5.49	35.03	36.00	8.20	44.20	30.00	4.34	34.34	62.61	5.54	68.15
4.03 भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय	...	5.75	5.75	...	...	...	...	4.27	4.27	...	...	...
4.04 मिशन/विशेष परियोजना	6.02	...	6.02	48.70	12.20	60.90	17.63	...	17.63	...	...	...
4.05 राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.48	5.00	22.48
4.06 एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.50	...	20.50
जोड़- फिल्म	*72.15*	*11.24*	*83.39*	*145.44*	*20.40*	*165.84*	*103.35*	*8.61*	*111.96*	*154.46*	*10.54*	*165.00*
5. जनसंचार												
5.01 अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	0.20	...	0.20	1.50	...	1.50
5.02 आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना	8.95	...	8.95	13.00	...	13.00	5.24	...	5.24	9.50	...	9.50
जोड़- जनसंचार	*10.95*	*...*	*10.95*	*16.00*	*...*	*16.00*	*5.44*	*...*	*5.44*	*11.00*	*...*	*11.00*
6. प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण												
6.01 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र का सुदृढ़ीकरण	9.84	...	9.84	15.10	3.00	18.10	13.71	3.00	16.71	14.30	3.00	17.30
6.02 भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	0.48	...	0.48	4.00	...	4.00	2.60	...	2.60	3.80	...	3.80
6.03 मिशन डिजिटलीकरण	0.75	...	0.75	2.00	...	2.00	3.40	...	3.40	2.00	...	2.00
6.04 प्रसारण विंग का स्वचालन	1.00	...	1.00	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
जोड़- प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण	*12.07*	*...*	*12.07*	*22.00*	*3.00*	*25.00*	*20.61*	*3.00*	*23.61*	*21.00*	*3.00*	*24.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**490.19**	**11.24**	**501.43**	**711.65**	**23.40**	**735.05**	**701.05**	**11.61**	**712.66**	**886.46**	**13.54**	**900.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता												
7.01 प्रसार भारती	2514.36	...	2514.36	2820.56	...	2820.56	2820.56	...	2820.56	2889.36	...	2889.36
7.02 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे	29.21	...	29.21	31.29	...	31.29	30.79	...	30.79	32.85	...	32.85
7.03 एसआरएफटीआई कोलकाता	14.35	...	14.35	16.46	...	16.46	17.46	...	17.46	19.71	...	19.71
7.04 बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)	3.25	...	3.25	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	3.90	...	3.90
7.05 भारतीय जनसंचार संस्थान	9.19	...	9.19	20.39	...	20.39	18.89	...	18.89	26.49	...	26.49
7.06 भारतीय प्रैस परिषद	3.84	...	3.84	6.73	...	6.73	6.73	...	6.73	7.45	...	7.45
जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	*2574.20*	*...*	*2574.20*	*2899.03*	*...*	*2899.03*	*2898.03*	*...*	*2898.03*	*2979.76*	*...*	*2979.76*
कुल जोड़	***3476.20***	***11.24***	***3487.44***	***4065.58***	***23.40***	***4088.98***	***4077.37***	***11.61***	***4088.98***	***4361.67***	***13.54***	***4375.21***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	8.30	...	8.30	9.55	...	9.55	10.04	...	10.04	10.89	...	10.89
2. सूचना और प्रचार	669.72	...	669.72	827.57	...	827.57	824.20	...	824.20	872.09	...	872.09

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. प्रसारण	2737.86	...	2737.86	3090.27	...	3090.27	3054.31	...	3054.31	3247.36	...	3247.36
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	60.32	...	60.32	63.85	...	63.85	66.61	...	66.61	68.68	...	68.68
5. सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	...	11.24	11.24	...	23.40	23.40	...	11.61	11.61	...	13.54	13.54
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3476.20**	**11.24**	**3487.44**	**3991.24**	**23.40**	**4014.64**	**3955.16**	**11.61**	**3966.77**	**4199.02**	**13.54**	**4212.56**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	74.34	...	74.34	122.21	...	122.21	162.65	...	162.65
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**74.34**	**...**	**74.34**	**122.21**	**...**	**122.21**	**162.65**	**...**	**162.65**
कुल जोड़	**3476.20**	**11.24**	**3487.44**	**4065.58**	**23.40**	**4088.98**	**4077.37**	**11.61**	**4088.98**	**4361.67**	**13.54**	**4375.21**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
अन्वेषण और उत्पादन												
1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	107.29	107.29	...	78.33	78.33	...	121.04	121.04	...	142.00	142.00
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	15.96	15.96	...	8.27	8.27	...	8.27	8.27	...	10.16	10.16
जोड़-अन्वेषण और उत्पादन	**...**	**123.25**	**123.25**	**...**	**86.60**	**86.60**	**...**	**129.31**	**129.31**	**...**	**152.16**	**152.16**
जोड़	**...**	**123.25**	**123.25**	**...**	**86.60**	**86.60**	**...**	**129.31**	**129.31**	**...**	**152.16**	**152.16**

1.01. **स्थापना व्यय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को कवर किया जाता है।

1.02. **कला एवं संस्कृति:** इसके अंतर्गत (i) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण पर किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है।

1.03. **सूचना एवं प्रचार:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित माध्यम एककों पर किए जाने वाले स्थापना संबंधी व्यय को कवर किया जाता है:-

(i) लोक संपर्क और संचार ब्यूरो – मंत्रालय में लिए गए निर्णय के अनुसार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग को आमेलित कर दिया गया है एवं वर्ष 2018-19 से लोक संपर्क और संचार ब्यूरो नामक एकल बजट प्रविष्टि शुरू की गई है। इसमें कार्यकलापों अर्थात विज्ञापन एवं अन्य मुद्रित सामग्रियों और रेडियो, टेलीविजनों, प्रदर्शनियों एवं अन्य बाह्य प्रचार मीडिया के जरिए प्रचार अभियान, फिल्म शो, मीडिया कार्यक्रमों के सीधे चित्रण, फोटो प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के जरिए अंतर-वैयक्तिक, विकासपरक संचार तथा लोगों विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक संपर्क माध्यम का कार्य करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फोटो प्रभाग के कार्य भारत के प्रधानमंत्री तथा उप राष्ट्रपति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करना है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु दृश्य प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसे वित्त वर्ष 2019-20 से पत्र सूचना कार्यालय के साथ आमेलित कर दिया गया है।

(iii) प्रकाशन विभाग -यह मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के व्यय के लिए प्रावधान करता है। यह विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्प्लाइमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है।

(iv) न्यू मीडिया विंग- इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान गवेषणा तथा संदर्भ प्रभाग के लिए है जिसे न्यू मीडिया विंग के रूप में पुनर्नामित किया गया है जो मंत्रालय तथा उसके माध्यम एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मीडिया के हित से जुड़े विषयों पर मूलभूत सूचना एकत्र करने तथा उनकी तुलना करने का कार्य करता है।

(v) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) समाचारपत्रों/ आवधिकियों के लिए शीर्षकों के सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनका सत्यापन करने का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/आवधिकियों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

(vi) इसमें संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान तथा एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख संगठनों की सदस्यता के लिए अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन के लिए अंशदान संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

(vii) इसमें (क) फिल्म प्रभाग (जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों के लिए न्यूज़ रीलों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्रों के जरिए देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना का प्रचार एवं प्रसार करता है) का स्थापना व्यय शामिल है, इसमें भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का परिचालन व्यय भी शामिल है (ख) फिल्म समारोह निदेशालय जिसे सुरुचिपूर्ण सिनेमा का संवर्धन करने तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह और राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करने तथा साथ ही सिरी फोर्ट सभागार का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है (ग) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो बेहतरीन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कालजयी फिल्मों का संरक्षण करने का कार्य करता है, की स्थापना से जुड़ा व्यय शामिल किया गया है।

(viii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र- इसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों/रेडियो द्वारा कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी करने का प्रावधान किया गया है।

2.01. **प्रसार भारती को सहायता अनुदान:** इसमें प्रसार भारती को सहायता अनुदान स्कीम के लिए प्रावधान भी शामिल है, जो कि प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराया जा रहा है।

2.02. **किसान चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान:** इसमें किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता का प्रावधान शामिल है।

2.03. **अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान:** इसमें अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता का प्रावधान शामिल है।

2.04. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसमें प्रसार भारती को सहायता अनुदान स्कीम के लिए प्रावधान भी शामिल है, जो कि प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए प्रसार भारती के संसाधनों के अंतराल को पाटने हेतु सहायता अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। प्रसार भारती के प्रावधानों को तीन स्कीमों अर्थात (क) प्रसार भारती को सहायता-अनुदान; (ख) किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता-अनुदान; तथा (ग) अरूण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता-अनुदान के अंतर्गत कवर किया गया। अब इन तीनों स्कीमों को आमेलित कर दिया गया है तथा उसे प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (नई स्कीम) के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

3.01. **विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार:** इसमें "विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार" नामक समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रावधान को शामिल किया गया है।

3.02. **मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** इसमें "मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम" नामक समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रावधान शामिल हैं। इसमें "आईआईएमसी के क्षेत्रीय केंद्रों को खोला जाना" नामक स्कीम का व्यय शामिल नहीं है। इसे आईआईएमसी से अलग करके मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम नया नाम दिया गया है।

3.03. **मानव संसाधन विकास:** समावेशी कार्यक्रम मानव संसाधन विकास (एचआरडी) में (क) प्रसार भारती को छोड़कर मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण, (ख) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम, (ग) नीति संबंधी सम्मेलन आद, (घ) फिल्म मीडिया के लिए मानव संसाधन विकास और (ड.) व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान स्कीमें शामिल हैं।

4.01. **विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार:** समावेशी कार्यक्रम विकास संचार एवं फिल्म संबंधी विषय-वस्तु का प्रसार में निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं:-

(क) फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार के जरिए भारत और विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देना (मुख्य सचिवालय) - फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार में भागीदारी के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना।

(ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण- विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों, बच्चों की फिल्मों, और वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण

(ग) फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग (फिल्म प्रभाग)- वृत्तचित्र, एनीमेशन और लघु फिल्मों का वितरण।

(घ) अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण (एनएफएआई)- राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का परिरक्षण व अधिग्रहण और विश्व सिनेमा के प्रतिनिधि संग्रह का सृजन।

(ङ) अभी तक की स्थिति के अनुसार मिशन/विशेष परियोजनाओं से जुड़े समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत पाइरेसी-रोधी पहलें नामक स्कीम शामिल है। ब.अ. 2019-20 से इसे समावेशी कार्यक्रम फिल्मी विषय-वस्तु का विकासपरक संचार तथा प्रचार-प्रसार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4.02. **फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम नामक समावेशी कार्यक्रम में निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं:- ऑनलाइन प्रमाणीकरण के जरिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स, फिल्म प्रभाग, जयकर बंगला सहित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की अवसंरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करना (एनएफएआई)।

4.03. **भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय:** देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय (फिल्म प्रभाग)

4.04. **मिशन/विशेष परियोजना:** अभी तक की स्थिति के अनुसार समावेशी कार्यक्रम "मिशन/विशेष परियोजना" में तीन स्कीमें अर्थात (क) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय); (ख) पाइरेसी-रोधी पहलें; (ग) राष्ट्रीय एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल हैं। ब.अ. 2019-20 से इस समावेशी कार्यक्रम की दो स्कीमें अर्थात (क) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम), तथा (ख) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को बजट आकलन (2019-20) के विवरण में एकल प्रविष्टि के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। पाइरेसी-रोधी पहलें नामक स्कीम को समावेशी कार्यक्रम फिल्मी विषय-वस्तु का विकासपरक संचार तथा प्रचार-प्रसार के साथ आमेलित कर दिया गया है।

4.05. **राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन:** राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय) – ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यपरक मूल्य की फिल्मों का भंडारण करने तथा अभिलेखीय एवं संरक्षण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए। इसमें भंडारित सामग्री का संरक्षण करने के लिए वॉल्ट के निर्माण पर किया जाने वाले पूंजीगत व्यय भी शामिल है।

4.06. **एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र:** राष्ट्रीय एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना – किफायती शुल्क संरचना पर एनिमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव और कॉमिक्स के लिए विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु।

5.01. **अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन:** प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए आईआईएमसी की उन्नयन को शामिल करता है।

5.02. **आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना:** यह प्रावधान आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र को खोलने के लिए है।

6.01. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र का सुदृढ़ीकरण:** इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र: यह प्रावधान कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए टेलीविजन चैनल/रेडियो की मानीटरिंग करने के लिए किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र पर उसके आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत व्यय भी शामिल है।

6.02. **भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता:** भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता- सामुदायिक रेडियो आंदोलन, जो विशेष रूप से उन समुदायों के लिए है जिनमें अधिकतर लोग पढ़े-लिखे नहीं होते, को सहायता प्रदान करने के लिए।

6.03. **मिशन डिजिटलीकरण:** यह ऐसा तंत्र है जो सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) लगाने की प्रभावी निगरानी करने में सहायता करेगा।

6.04. **प्रसारण विंग का स्वचालन:** नए टीवी चैनलों के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल का विकास करने के लिए।

7.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं ।

7.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे:** इसमें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं ।

7.03. **एसआरएफटीआई कोलकाता:** स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:- इसमें सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं

7.04. **बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई):** इसमें बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।

7.05. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं

7.06. **भारतीय प्रैस परिषद:** इसमें भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं